न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 47/22 दायरा दिनांक 27/07/2022

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)

उदयराज पुत्र रंगीलाल उम्र 48 वर्ष जाति कोली निवासी बीलखेड़ामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.

– वादी

बनाम

1. खैरू पुत्र भागू जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
2. कंचनलाल पुत्र नेकसिया जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
3. राजू पुत्र नेकसिया जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
4. धनवन्ती पुत्री नेकसिया पत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी भोयल हाल निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
5. कल्ली पुत्री नेकसिया जाति जाटव निवासी भोयल हाल निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज. – फोत

   5/1. दिनेश उम्र 17 वर्ष नाबालिग पुत्र बृजेश जर्ये वली पिता बृजेश पुत्र कोमल जाति जाटव निवासी मझोला तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

   5/2. मावेश उम्र 15 वर्ष नाबालिग पुत्र बृजेश जर्ये वली पिता बृजेश पुत्र कोमल जाति जाटव निवासी मझोला तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
6. कवरी पत्नि नेकसिया जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
7. सोनाली सरकार पुत्री हरीशचन्द जाति चाण्डाल निवासी देवरी तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
8. जानकी पत्नि श्रवणकुमार जाति जाटव निवासी भोयल तहसील शाहावाद जिला बारां राज.
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. 1955

<u>अंतिम निर्णय दिनांक– 09.10.2023</u>

उपस्थित – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट–वादी की ओर से
एकपक्षीय – प्रतिवादीगण की ओर से

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भोयल तहसील शाहाबाद के खाता संख्या 139 में आराजी खसरा संख्या 250 रकबा 5.11 बीघा, खसरा संख्या 501 रकबा 3.14 बीघा किता 2 कुल 9.05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। जिसमें से आराजी खसरा संख्या 501 रकबा 3.14 बीघा को विवादित भूमि कहा गया है। उक्त विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा [illegible] प्रतिवादी कम 2 लगायत 6 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 7 का [illegible] प्रतिवादी कम 8 का हिस्सा 3/14 निहित होकर [illegible] विवादित भूमि खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:16 IST
Reason: SelfAttested

Pooja

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

501 रकबा 3.14 बीघा में वादी का हिस्सा 1/3 निहित होकर खाता दर्ज है। खाता सामलाती होने से न तो हल्का पटवारी वादी की हिस्सा आराजी का पृथक से सीमाज्ञान करा पा रहे हैं और न ही वादी अपनी भूमि में कोई सुधार कर पा रहा है, मुआवजा तथा के.सी.सी. आदि लेने में वादी को भारी परेशानी होती है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार खाता विभाजन कराने बावत निवेदन कर लिया परन्तु प्रतिवादीगण विभाजन कराने को तैयार नहीं हैं। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी में से अपनी हिस्सा आराजी 1/3 का विभाजन करा पृथक से खाता दर्ज करा सके। दिनांक 20.07.22 को वादी ने प्रतिवादीगण से अंतिम बार विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। इस कारण वादी को वाद का कारण प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी कम 1 लगायत 8 सहखातेदार होने से वाद के पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी कम 9 सर्वोच्च भूस्वामी होने से वाद के पक्षकार हैं। विवादित आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः ग्राम भोयल तहसील शाहाबाद की विवादित भूमि खसरा संख्या 501 रकबा 3.14 बीघा में से वादी हिस्सा आराजी 1/3 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजन किया जाकर पृथक से खाता दर्ज किया जावे, बाद विभाजन वादी को विभाजित हिस्सा आराजी 1/3 पर बाद पेमाइश दखल तथा कब्जा दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से चूंकि कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, इस कारण प्रकरण में कोई तनकी कायम नहीं की गई। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई और वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 11.02.2023 को विभाजन हेतु प्राथमिक निर्णय/डिकी जारी कर वादग्रस्त आराजी ख. सं. 501 रकबा 3.14 बीघा ग्राम भोयल तहसील शाहावाद में से वादी हिस्सा 1/3 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी सिद्वान्त के आधार पर विभाजन किया जाकर तहसीलदार शाहावाद से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिसे वादी द्वारा स्वीकार किया जाकर अनुमोदित किया गया।

–: आदेश :–

अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंकित नक्शा अनुसार ग्राम भोयल तहसील शाहाबाद स्थित वादग्रस्त आराजी ख. सं. 501 रकबा 3.14 बीघा में से वादी हिस्सा 1/3 (1.03 बीघा) मध्य का विभाजन किया जाता है। इसी अनुसार वादी का प्रथक से खाता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किया जावे। तदानुसार अन्तिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:16 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner